(1)

C.E. (C.A.)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
Receipt No. 926
Date 15.2.17

फार्म
अंचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष

01 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नामः— दीपक जोशी

02. वर्तमान पद :— अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)

03 कार्यालय का नाम :— कार्यालय अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., इन्दौर

04. वर्तमान वेतन :— +7600+DA.

05 भविष्य निधि कमांक :— 23164204

06. कर्मचारी संख्याः— 93421624

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक,विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
धार (म.प्र.)	मकान 2 औंकार नगर जोशी कॉलोनी ,धार	निरंक	30 लाख लगभग	स्वय के नाम से	श्री बाबूलाल औंकार लाल वर्ष–1989 में	1 लाख लगभग	–
देलमी, धार(म.प्र.)	निरंक	80X40 वर्ग फीट भूमि	2,50,000 लगभग	श्रीमती ऊषा दीपक जोशी (पत्नी)	संधवी ब्रदर्श इन्दौर	निरंक	–
इन्दौर	फ्लेट नं. 203, क्लासिक टॉवर, 11–12 श्रीनगर NX इन्दौर साईज–1007 वर्ग फीट	निरंक	22,00,000 लगभग	स्वयं एवं पत्नी के नाम से	श्रीमती माधवी लेल शर्मा से एच.डी.एफ.सी. ऋर्ण इन्दौर के माध्यम से ऋण प्राप्त कर क्रय किया गया।	50,000 लगभग	–
ग्राम मुंगेढ़ तेहसील–साबला जिला डुंगरपुर (राजस्थान)		3) बीघा भूमि अर्थात 52500 वर्गफीट का 1/5 वॉ हिस्सा	1 लाख लगभग	स्वयं के नाम से 1/5 वॉ हिस्सा	स्वयं की बचत से सदाशीव आत्मज तुलसीराम सेवक ग्राम मुंगेढ़ ते. साबला (राजस्थान)	निरंक	

हस्ताक्षर .....
नाम :— दीपक जोशी
पद :— अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार)

* जहॉ लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहॉ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहॉ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी — मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।